

06/6/22

पत्रावली क्र. 182/22 व. 18) अधिवक्ता
उपस्थित। अधिवक्ता दिनांक 08/12/22
के अनुसार वकील की प्रतिनियुक्ति
पर समझ के लिए रजिस्ट्रार लखी
करवायी गयी थी। परन्तु लगभग
1 1/2 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त
भी वकील द्वारा प्रतिनियुक्ति के
सम्मान के लिए रजिस्ट्रार लखी
पेश नहीं की गयी।

अतः न्यायालय, अधिवक्ता के
अवलोकन करने पर भी यह पाता है
कि न्यायालय अधिवक्ता दिनांक
08/09/2022 के विरोधी पत्राचार
सूचना दिए बिना अंतरिम अधिवक्ता
जारी किया गया था। अधिवक्ता
39, नियम - 3, CPC के यह
Mandatory Provision है कि
सबसे अधिवक्ता के पुराने पश्चात्,
वकील रजिस्ट्रीकृत आर के द्वारा
विरोधी पत्राचारी के सम्मान
की लागू करवाएगा।

विभागीय न्यायालय
जयपुर नगर प्रभाग

फर्द अहकाम


न्यायालय

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रयत्न

मुखा बनाम चन्दा

मुकदमा संख्या / वर्ष

: 85/2012 कावा/20

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|----------|------------------------------|---|-------------|
| | | <p>आज्ञा के अन्तर्गत वाही रजिस्ट्री लखनी हेतु डाक रकम देने में विफल रहे हैं। ज्ञात: वाही का वाड आरंभ 09 किफाय 02 CPE के तहत पोषणीय गद्दी देने से स्वीकृत किया जा रहा है। पत्रावली के तहत शुमार देकर पत्र नम्बर दे कर है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रयत्न </p> | |